न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 1991–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–12–12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 30/अपील/10–11.

मुन्नीबाई पत्नी नेमीचंद जैन
निवासी वार्ड नं. 11, कस्टम पथ सिंरोज,
जिला विदिशा म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1– दौलतसिंह आ0 श्री भगवानसिंह दांगी (मृतक)
द्वारा वारिसान –
अ– मुन्नालाल आत्मज स्व. श्री दौलतसिंह
ब– महेश बाबू आत्मज स्व. श्री दौलतसिंह
स– श्रीमती चन्दा बाई पुत्री स्व. श्री दौलत सिंह
2– पर्वत सिंह आ0 श्री भगवान सिंह दांगी
सभी निवासी ग्राम बमूलिया तहसील सिंरोज
जिला विदिशा म0प्र0 ----- अनावेदकगण

श्री रमेश गिरी, अधिवक्ता, आवेदकगण ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के

अपील प्रकरण क्रमांक 30/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28–12–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा ग्राम बमूलिया उदा स्थित प्रश्नाधीन भूमि के संबंधी विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 178 के तहत एक आवेदन पेश कर बटवारा चाहा गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कायम किया जाकर इश्तहार का प्रकाशन किया गया तथा सहकृषकों को आहूत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा फर्द बटान मंगाई जाकर बटवारा आदेश दिनांक 10.2.09 स्वीकृत किया । इस आदेश से असंतुष्ट होकर अनुविभागीय अधिकारी, सिंरोज के न्यायालय में अनावेदकों द्वारा अपील की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक31.7.10 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की साथ ही यह आदेश कि आवेदिका अपने बटवारे हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि उन्होंने अनावेदक कं. 1 के पिता दौलतसिंह से पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की थी और उसका नाम तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ । आवेदक का हिस्सा स्पष्ट रूप से खाते में अंकित होने के कारण तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य था । विचारण न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर तथा अनावेदकों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर आदेश पारित किया है जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि विक्रयपत्र में सिंचित भूमि विक्रय किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है तथा चतुर्सीमा दर्शित हैं । अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि मृतक दौलतसिंह द्वारा किए गए विक्रपत्र में नलकूप होने का स्पष्ट उल्लेख है । इस कारण विक्रयपत्र एवं उसमें किए गए कथन दौलतसिंह एवं उसके परिजनों पर बंधनकारी है । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे का होकर विचारण न्यायालय द्वारा बटवारा स्वीकार किया गया जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की । द्वितीय अपील में आलोच्य आदेश के द्वारा अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर अपील को स्वीकार किया है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रकरण में फर्द बटान का प्रकाश न नहीं हुआ है और ना ही आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं । अनावेदकों की कोई साक्ष्य नहीं ली गई है और अधीनस्थ न्यायालय में विक्रयपत्र की प्रतिलिपि संलग्न नहीं है । प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि के विक्रयपत्र की फोटो प्रति अवश्य है जिसको देखने से स्पष्ट है कि भूमि ख0नं0 488 में से भूमि क्रय की गई एवं विक्रय पत्र में भूमि की सीमा वर्णित है किंतु नक्शे में भूमि सिंचित नहीं दर्शाई गई है न ही भूमि सिंचित होना एवं कुंआ या फलदार वृक्ष होना वर्णित है । विक्रयपत्र पत्र के प्रथम पृष्ठ में भूमि असिंचित अंकित है जिसे अ काटकर सिंचित किया गया है द्वितीय पृष्ठ में कांट छांट अंकित की गई है वहां विवरण नहीं है । इसलिए बिना मूल

विक्रयपत्र देखे कुंआ विभाजन में दिया जाना अपर आयुक्त ने विधिसम्मत नहीं माना है और उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया है । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर